महत्वपूर्ण / आवश्यक

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक / नि0वि0(फीस) / 349-65 / 2021–22 दिनांक 21 मई, 2021

विषय : कोविड–19 के संकमण की दूसरी लहर की रोकथाम के दृष्टिगत विद्यालय बंद रहने के फलस्वरूप निजी विद्यालयों के फीस भुगतान की प्रकिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या 227 / XXIV-B-5 / 2021–3(1)2020 दिनांक 25 अप्रैल, 2021 के कम में महानिदेशालय के पत्र संख्या / नि.वि.(फीस) / 220–26 / 2021–22 दिनांक 26 अप्रैल, 2021 द्वारा कोविड–19 के संकमण की दूसरी लहर की रोकथाम के दृष्टिगत विद्यालय बंद रहने के फलस्वरूप निजी विद्यालयों के फीस भुगतान की प्रकिया के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये हैं:–

1. मात्र ऑनलाइन / अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कराने वाले निजी विद्यालयों को विद्यालय बंद रहने की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क (Tuition Fees) लेने की अनुमति होगी। अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जायेगा।
2. ऑनलाईन / अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण का लाभ लेने के बावजूद भी शुल्क देने में असमर्थ अभिभावक कारणों का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रबन्ध समिति से शुल्क जमा करने हेतु अतिरिक्त समय का अनुरोध कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में छात्रों को शुल्क जमा करने में हुये विलम्ब के कारण विद्यालय से बाहर नहीं किया जायेगा।
3. कोविड–19 के संकमण से रोकथाम हेतु विद्यालयों के बंद रहने के अवधि में सरकारी / अर्द्धसरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने एवं उनकी आजीविका में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने के कारण ऑनलाईन / अन्य संचार माध्यमों से कक्षाओं का लाभ लेने के फलस्वरूप नियमित रूप से निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fees) जमा करवाया जायेगा।

उक्त निर्देशों के वाबजूद भी संज्ञान में आया है कि कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न मदों (खेल, कम्प्यूटर आदि) में ली जाने वाली फीस को भी शिक्षण शुल्क में सम्मिलित कर अनुचित ढंग से शिक्षण शुल्क में वृद्धि कर ली गई है, जो उक्त निदेर्शों का उल्लंघन है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि तत्काल ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर जांच करें, जिनके द्वारा विभिन्न मदों के शुल्क को शिक्षण शुल्क में समाहित कर शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है तथा दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित विद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये सुस्पष्ट आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

21/05/2021

(विनय शंकर पाण्डेय)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं.: नि0वि0(फीस) / 349-65 / 2021–22 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा / निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
2. अपर निदेशक (मा.शि. / प्रा.शि.) गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल।

21/05/2021

(विनय शंकर पाण्डेय)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड